रजिस्ट्री सं० डी०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 26, 2012/चैत्र 6, 1934

No. 74] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 26, 2012/CHAITRA 6, 1934

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 2012

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2012

फा. सं. 1-7/2007 (सी.पी.पी.-1/सी).—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुच्छेद 26, उप अनुच्छेद (1) अनुभाग की धारा 2 (एफ) एवं (जी) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुपालन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 को संशोधित करते हुए निम्न विनियमनों का सृजन आयोग द्वारा किया जा रहा है :—

1. संक्षिप्त शीर्षक, अनुप्रयोग एवं प्रारंभ :

1.1 यह विनियम, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 के नाम से जाना जाएगा।

1.2 ये विनियम, भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से तुरंत प्रभाव से लागू माने जाएंगे।

2. **परिभाषाएँ : इन विनियमों में :**

1. परिभाषा में व्यक्त धारा 2.4 के पश्चात् निम्न धारा को सम्मिलित किया जाएगा :

"2.5 'अनुदान सहायता प्राप्त महाविद्यालय' से तात्पर्य 'एक ऐसे महाविद्यालय से है' जो कि अपने कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहा है।"

परिणामत: वर्तमान धाराओं की संख्या 2.5, 2.6 एवं 2.7 को क्रमश: इस परिभाषा के अंतर्गत 2.6, 2.7 एवं 2.8 के रूप में समझा जाएगा।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा संख्या 2.6 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

2.7 "सांविधिक/नियामक निकाय" से तात्पर्य है एक ऐसा निकाय जिसे किसी केन्द्र/राज्य सरकार के अधिनियम द्वारा गठित किया गया है ताकि उच्चतर शिक्षा के सापेक्ष क्षेत्रों में मानकों को स्थापित एवं अनुरक्षित किया जा सके।

3. **अस्थायी संबद्धता के लिए पात्रता के मानदण्ड :**

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 3.1 के स्थान पर निम्न धारा प्रतिस्थापित की जाएगी।

"3.1 संबद्ध का इच्छुक प्रस्तावित महाविद्यालय, विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किये जाने के समय निम्न अनिवार्यताओं को पूरा करेगा अथवा सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा ऐसी अनिवार्यताओं को पूरा करेगा जो केवल तकनीकी/व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए निर्धारित की गई हों।"

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की विद्यमान धारा 3.1.1 के स्थान पर निम्नलिखित धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"3.1.1 यदि वह भूमि किन्ही बड़े शहरों में स्थित है तथा उसका विस्तार 1.5 एकड़ से कम नहीं है, यदि यह महानगरों में स्थित है तथा इसका विस्तार 2 एकड़ हो अथवा यदि यह अन्य नगरों में स्थित है तो इसका विस्तार

5 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए तथा इसका विवाद रहित स्वामित्व एवं अधिकारिता हो एवं वह भूमि किसी भी ऋण भार से मुक्त होनी चाहिए ।

बशर्ते, यह उप-धारा ऐसे महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी, जो कि पहले से भारत में विद्यमान विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध हैं ।

बशर्ते, बड़े शहरों में अपेक्षाकृत कम विस्तृत भूमि की आवश्यकता का विश्वविद्यालय के पाठ्योत्तर एवं बाह्य क्रियाकलापों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा ।

बशर्ते, "पहाड़ी क्षेत्रों में 5 एकड़ भूमि की आवश्यकता, जो समीपस्थ हो अथवा उन ऐसे तीन स्थानों पर हो जिनकी परस्पर दूरी 2 कि.मी. से अधिक न हो ।

3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्व विद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा 3.1.3 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"3.1.3 संकायों, व्याख्याताओं, सम्मेलन कक्षों, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालाओं को एक ऐसे आकदमिक भवन में स्थापित किया जाएगा जिसमें न्यूनतम प्रति छात्र 15 वर्ग फुट क्षेत्र व्याख्यान कक्ष/संगोष्ठी कक्ष/पुस्तकालय में विद्यमान हों तथा प्रत्येक प्रयोगशाला में प्रति छात्र 20 वर्ग फुट होना चाहिए:

बशर्ते, यह उप-धारा उन महाविद्यालयों पर लागू नहीं होगी जो पहले से ही भारत में विद्यमान महाविद्यालयों से सम्बद्ध हैं ।"

4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 3.1.5 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा:

"3.1.5 जल, विद्युत, वायुसंचारण/शौचालयों, सीवरेज आदि पर्याप्त नागरिक सुविधाएँ केन्द्र/राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप प्रदान की जाएँ ।"

5. धारा 3.1.5 के पश्चात्, निम्न धारा को इसमें सम्मिलित किया जाएगा :

3.1.6 "सुरक्षा, संरक्षा एवं प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पर्याप्त उपाय"

परिणामत: धारा 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 एवं 3.1.9 को इस परिभाषा के अन्तर्गत क्रमश: 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 एवं 3.1.10 के रूप में समझा जाए ।

4. अस्थायी संबद्धता की स्वीकृति हेतु पद्धति :

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 4.9 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"4.9 विश्वविद्यालय संघ/कार्यकारी परिषद् की संबद्धता को प्रदान अथवा प्रदान न करने वाला सर्वोच्च प्राधिकरण होगा ।"

5. स्थायी संबद्धता हेतु पात्रता के मानदण्ड :

1. धारा 5.4 के पश्चात् निम्न धारा सम्मिलित की जाएगी:

"5.5 : ऐसे महाविद्यालय को राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं प्रमाणन समिति (NAAC) अथवा अन्य किसी सांविधिक प्रत्यायन अभिकरण राज्य/केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रत्यायित किया जाएगा ।"

9. ऐसे विश्वविद्यालय जिन्होंने अवमानक महाविद्यालयों को संबद्धता प्रदान की है अथवा ऐसे विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों पर जो आयोग द्वारा निर्धारित नियमनों का अनुपालन करने में असमर्थ रहे हैं उन पर दण्ड का प्रावधान

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की वर्तमान धारा 9.2 के स्थान पर निम्न धारा को प्रतिस्थापित किया जायेगा :

"9.2 कोई भी ऐसा महाविद्यालय जिसे अनुच्छेद 2 (एफ) के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, जो अनुच्छेद 12(बी) के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त कर रहा है, ऐसा महाविद्यालय यदि विभिन्न नियमनों का उल्लघंन करने का दोषी पाया जाता है तो ऐसी दशा में आयोग कोई भी उचित कार्रवाई करेगा जिसमें विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले अनुदान को रोका जाएगा अथवा उस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों की सूची में से, जो अनुच्छेद 2 (एफ) एवं/अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के अनुच्छेद 12 (बी) के अन्तर्गत है, उस महाविद्यालय का नाम हटा दिया जाएगा ।"

एन. आदिल काज़मी, सचिव
[विज्ञापन III/4/113/11/असा.]

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February, 2012

University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universites] (1st Amendments) Regulations, 2012.

F. No. 1-7/2007 (CPP-1/C).—In exercise of the powers conferred by clauses 2(f) and (g) of the Sub-section (1) of Section 26 of the University Grants Commission Act, 1956 the UGC hereby makes the following Regulations to amend the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009, namely :—

1. **Short Title, Application and Commencement:**

1.1 These Regulations may be called University Grants Commission [Affiliation of Colleges by Universities] (1st Amendments) Regulations, 2012.

1.2 They shall come into force with immediate effect from the date of publication in the Gazette of India.

2. **Definitions :** In these Regulations :

1. After clause 2.4 in the definition the following clause shall be inserted.

"2.5 "grant-in-aid college" means a 'college' receiving grants from the Government for payment of salary of its employees;"

Consequently the Nos. of existing clauses No. 2.5, 2.6 and 2.7 shall be read as 2.6, 2.7, 2.8 respectively in the definition.

2. In place of existing clause 2.6 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

2.7 "Statutory/Regulatory body" means a body so constituted by a Central/State Government Act for setting and maintaining standards in the relevant areas of higher education.

3. **Eligibility Criteria for Temporary Affiliation :**

1. In place of existing clause 3.1 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1 The proposed college seeking affiliation, at the time of inspection by the university, shall satisfy the following requirements, or the requirements in respect of any of them prescribed by the Statutory/Regulatory body concerned in the case of technical/professional courses only."

2. In place of existing clause 3.1.1 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.1 Undisputed ownership and possession of land free from any or all encumbrances measuring not less than 1.5 acres if it is located in mega cities, 2 acres if it is located in metropolitan cities and 5 acres if it is located in other cities :

Provided that this sub-clause shall not apply to colleges already affiliated to the Universities in India :

Provided further that the lesser land requirement in mega cities shall not compromise extracurricular/extra-mural curricular activities of the college :

Provided also that the requirement of 5 acres in hilly areas could be contiguous or upto three places which are not separated by more than 2 kilometers."

3. In place of existing clause 3.1.3 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.3 academic building sufficient to accommodate the faculties, lecturer/seminar rooms, library and laboratories with a minimum of 15 sq. ft. per student in lecture/seminar room/library and 20 sq.ft. per student in each of the laboratories :

Provided that this sub-clause shall not apply to colleges already affiliated to the Universities in India."

4. In place of existing clause 3.1.5 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"3.1.5 adequate civic facilities for essential like water, electricity, ventilation, toilets, sewerage, etc. in conformity with the norms laid down by the Central/State PWD."

5. After clause 3.1.5 the following clause shall be inserted.

"3.1.6 adequate measures for safety, security, pollution control, etc."

Consequently the Nos. of existing clauses No. 3.1.6, 3.1.7, 3.1.8 and 3.1.9 shall be read as 3.1.7, 3.1.8, 3.1.9 and 3.1.10 respectively in the definition.

4. **Procedure for Granting Temporary Affiliation :**

1. In place of existing clause 4.9 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities] Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"4.9 The Syndicate/Executive Council of the University shall be the ultimate authority to decide granting, or not granting, affiliation."

5. **Eligibility Criteria for Permanent Affiliation :**

1. After clause 5.4 the following clause shall be inserted.

"5.5 The College shall be accredited by NAAC or any other statutory accreditation agency by State/Central Government."

9. **Penalties on the Universities granting affiliation to sub-standard colleges or failure of Universities/Colleges to comply with the Regulations of Commission :**

1. In place of existing clause 9.2 of the UGC [Affiliation of Colleges by Universities]

Regulations, 2009 the following clause shall be substituted.

"9.2 If any college included under Section 2(f) and receiving UGC Grants under Section 12(B) is found guilty of violation of the Regulations, the Commission may take such action as it may deem fit, including that of withholding the grant to the college and/or delisting the said college from the list of colleges maintained by the Commission under Sections 2(f) and/or 12(B) of the UGC Act."

N. ADIL KAZMI, Secy.
[ADVT. III/4/113/11-Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.